बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें विनियम, 2019

नं ………. पटना, दिनांक………………… । 2019 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 297 एवं धारा 421 के निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार के (समय समय पर संशोधित) राज्यपाल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनों पर कर के समबन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाते है, जो कि इसके पहले कथित अधिनियम की धारा 421 के द्वारा आवश्यक रूप में प्रकाशित किया गया है ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

क. यह विनियमावली "पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें विनियम, 2019" कही जा सकेगी।

ख. इसका विस्तार पटना नगर निगम की नगरपालिका सीमाओं के अंतर्गत सैनिक छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण पटना नगर निगम की नगरपालिका सीमाओं में होगा।

ग. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. पृष्ठभूमि -

क. भारत सरकार ने किफायती दरों पर पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ एक सुदृढ़ दूरसंचार अवसंरचना सृजित करने की आवश्यकता महसूस की है । विश्व में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की विधि प्रचलित है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक शासन, ई- कॉमर्स, सूचना, संचार और मनोरंजन क्षेत्रों के अभिसरण के प्रसार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसकी मदद से देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार एवं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

ख. ऑप्टिकल फाइबर राज्य सरकार के विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, वन, सिंचाई, राजस्व, कृषि आदि और स्थानीय निकाय प्राधिकरण जैसे पंचायत, नगर निगम,

नगरपालिका और शहरी विकास प्राधिकरण आदि से संबंधित भूमि पर बिछाया जा रहा है।

ग. दूरसंचार सेवा की वृद्धि के लिए टेली-घनत्व एक मानक मापन है जो प्रति 100 जनसंख्या पर उपभोक्ताओं की संख्या है । बिहार का टेली-घनत्व 62.54 है जो 91.82 के राष्ट्रीय औसत (ट्राई प्रेस रिलीज संख्या 22/2019 से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार) से कम है ।

घ. हाल के वर्षों में भारत में प्राकृतिक गैस की संचरण और वितरण अवसंरचना का विकास वैकल्पिक ईंधन के स्थान पर प्राकृतिक गैस के उपयोग से बचत, प्राकृतिक गैस की पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं के कारण मांग में बहुत अधिक वृद्धि एवं भूमिगत पाईपलाईनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर गैस की आपूर्ति की वजह से हुआ है । गैस पाईपलाईनों के बुनियादी ढांचे को एक देशव्यापी गैस ग्रिड, शहर गैस वितरण परियोजनाओं और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात क्षमता बढ़ाने के हेतु मजबूत किया जा रहा है।

ङ. विशिष्ट विनियमों के अभाव में ऑप्टिकल फाइबर केबल और भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रस्तावों में विलंब होता है और इससे सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं को असुविधा एवं समुचित प्रशासन का अभाव होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पटना नगर निगम ने पटना में ऑप्टिकल फाइबर केबल/ अंडरग्राउंड पाईपलाई न बिछाने के इच्छुक सेवा स्वीकृति जारी/प्रदाताओं को अनुमति करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए विनियम बनाने का निर्णय लिया है। इससे बेहतर शासन सुनिश्चित होगा और पटना नगर निगम के लिए राजस्व में भी वृद्धि होगी।

3. **परिभाषाएं**- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों , इस नियमावली में-:

क. 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007।

ख. "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

ग. अधिनियम में परिभाषित तथा इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

घ. "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत कार्यकारी अधिकारी है ।

ङ. "केबल" से अभिप्रेत है, एक आवरण वाली जैकेट के भीतर एक या अधिक इंसुलेटेड कंडक्टर या ऑप्टिकल फाइबर या दोनों का संयोजन, जो भूमिगत हो सकता है एवं डेटा या जानकारी संचारण के लिए एक उच्च गति भौतिक माध्यम है ।

च. "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243Q के साथ पठित अधिनियम की धारा 12 के तहत स्थानीय स्वशासन की संस्था का गठन किया गया है और इसमें नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत शामिल है, जिसका बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 13 में उल्लेख किया गया है ।

छ. "ऑपरेटर" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों या कंपनी का संघ जो या तो स्वयं के लिए या अन्य फर्म के लिए इसके उपयोग में प्रयोजन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित करता है, जैसे कि मोबाइल फोन सेवा प्रदाता, इंटरनेट, गैस प्रदाता और डेटा स्थानांतरण सेवाएं ।

ज. "पाईपलाईन" से अभिप्रेत है ऑपरेटर द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित कोई भूमिगत पाईपलाईन ।

4. **लाइसेंस/अनुमति जारी करने का प्राधिकार -** कोई भी ऑपरेटर, जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इन विनियमों में उल्लिखित निर्धारित शुल्क सहित भरे फार्म-ए को ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन बिछाने से कम से कम तीस दिन पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करेंगे। सक्षम प्राधिकारी फार्म-बी में अनुमोदन या फार्म-सी में आवेदन की अस्वीकृति 20 कार्य दिवसों के भीतर करेंगे ।

5. **ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन के लिए आवेदन-**

कोई भी ऑपरेटर जो पूर्व में आप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन की स्थापना कर चुका है अथवा आप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन की स्थापना करना चाहता है, वह निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फार्म-ए में पटना नगर निगम को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा-

क. केंद्र सरकार द्वारा दी गई लाइसेंस की प्रति;

ख. बिछाई जाने वाली प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन का विवरण;

ग. कार्य के निष्पादन की विधा और समयावधि;

घ. यदि ऑपरेटर दिन के विशिष्ट समय के दौरान परियोजना का निष्पादन करते हैं, तो उसका विवरण;

ङ. ऑपरेटर द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के फलस्वरूप ऐसे सक्षम प्राधिकृति के खर्चों का ब्यौरा;

च. जनता को होने वाली असुविधा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपाय;

छ. कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपाय;

ज. कोई अन्य विषय जो प्रस्तावित कार्य से जुड़ा हो अथवा संबंधित हो;

झ. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से, निर्दिष्ट किए गए कार्य से संबंधित या उससे संबद्ध कोई अन्य मामला;

ञ. ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन के कारण दुर्घटना के चलते किसी क्षति की देखभाल के लिए क्षतिपूर्ति बाण्ड जिसमें एक घोषणा हो कि ऑपरेटर आग या बिजली सुरक्षा हेतु विशेष एहतियात बरतेगा तथा किसी भी मुआवजा और हानि भुगतान के लिए वह एकल रूप से जिम्मेदार होगा तथा साथ साथ किसी फौजदारी या दीवानी मामले के लिए भी जिम्मेदार होगा;

ट. यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन किसी हवाई अड्डे के निकट प्रस्तावित हो तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण के नवीनतम परिपत्र को प्रभावित करता हो तो प्राधिकरण से अनुमति ली जायेगी तथा आवेदन के साथ अनुमति जमा करेंगे;

ठ. नगर पालिका पंजीकरण के लिए आवेदन का ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित करेगी, जिसमें उपरोक्त विवरण को शामिल किया जाएगा;

6. फीस

क. प्रशासनिक शुल्क की एकमुश्त राशि का भुगतान होगा और आवेदन जमा करने के समय रु० 1000/- प्रति किलोमीटर की दर से जमा किया जाएगा।

ख. पंजीकरण के लिए आवेदन की मंजूरी के बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क प्रति 5 वर्ष रु० 75,000/- (पछत्तर हज़ार रूपये) प्रति कि. मी की दर से जमा की जाएगी।

ग. रोड कटिंग शुल्क "पटना रोड कटिंग शुल्क विनियम,2019" में उल्लेख किया गया शुल्क होगा तथा निम्नलिखित प्रकार के रोड एवं ओपन कट तथा एच.डी.डी दोनों प्रकार के कार्य के लिए लागू होगा:-

क्र.	**सड़क का प्रकार**	**शुल्क**
1	बिटुमिनस सड़कें	पटना रोड कटिंग शुल्क विनियम,2019" में उल्लेख किया गया शुल्क
2	कंक्रीट सड़कें	
3	फुटपाथ	
4	बर्म/ डब्ल्यू .बी. एम्	
5	अन्य रोड	

एच.डी.डी कार्य की स्थिति में उपरोक्त' शुल्क के अलावा रु० 100 प्रति रूट मीटर देय होगा।

घ. ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन को सफलतापूर्वक बिछाने के लिए रु० 50/- प्रति मीटर की दर से पर्फोर्मंस बैंक गारंटी जमा लिया जाएगा।

ङ. एरियल खंभा लगाये जाने पर रु० 300 प्रति खंभा प्रति वर्ष की दर से वार्षिक शुल्क जमा किया जाएगा।

च. इन विनियमों के प्रभाव में आने से पहले संस्थापित ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन के लिए प्रशासनिक शुल्क उपर्युक्त उल्लिखित प्रशासनिक शुल्क, रोड कटिंग शुल्क "पटना रोड कटिंग शुल्क विनियम,2019" में उल्लिखित शुल्क, एरियल खंभा का वार्षिक शुल्क उपर्युक्त उल्लिखित वार्षिक शुल्क गुणा पूर्ण वर्षों की संख्या होगी तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन शुल्क उपर्युक्त उल्लिखित ऑप्टिकल

फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क होगा। समस्त उल्लिखित शुल्कों पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

छ. पूर्ण वर्ष से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

ज. ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क एवं एरियल खंभे के वार्षिक शुल्क में प्रत्येक 5 वर्षों बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

झ. अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क पूर्ण 5 वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा तथा एरियल खंभे का वार्षिक शुल्क पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा। यदि वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक किराया शुल्क का भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

ञ. ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क (5 वर्ष) एकमुश्त देय होगा। एरियल खंभे के वार्षिक शुल्क का 5 वर्ष के लिए एकमुश्त भुगतान का विकल्प होगा (पूर्ण राशि के अग्रिम भुगतान पर 20% की छूट मिलेगी)।

ट. बिना प्रशासनिक शुल्क, रोड कटिंग शुल्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क, एरियल खंभे के वार्षिक शुल्क (यदि लागू हो), एच.डी.डी शुल्क (यदि लागू हो), पर्फोर्मेंस बैंक गारंटी तथा नगर पालिका की अनुमति के कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन स्थापित नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे किसी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन की स्थापना को अवैध माना जाएगा ।

ठ. ऐसे किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन जिस पर प्राशासनिक शुल्क , रोड कटिंग शुल्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क, एरियल खंभे के वार्षिक शुल्क (यदि लागू हो), एच.डी.डी शुल्क (यदि लागू हो) और/ या पर्फोर्मेंस बैंक गारंटी बकाया हो के संबंध में नगर पालिका को अधिकार होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन को तब तक के लिए सील कर दी जाएगी जब तक की पूर्णतः बकाया राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त न हो जाये।

7. ऑप्टिकल फाइबर केबल /भूमिगत पाईपलाईन अनुरोध के अनुमोदन के लिए समयरेखा

क्र.	गतिविधि	क्रिया-धारक	समयरेखा
1.	ऑपरेटर ऑनलाइन पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे और भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करेंगे	ऑपरेटर	टी
2.	सक्षम प्राधिकारी आवेदन और दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे तथा यदि आवेदन और सभी दस्तावेज उम्मीद के अनुसार हैं तो अनुमोदन प्रदान करेंगे	सक्षम प्राधिकारी	टी + 10
3.	फार्म बी में स्वीकृति पत्र (एलओए) या फार्म-सी में आवेदन की अस्वीकृति जारी की जाएगी	सक्षम प्राधिकारी	टी + 20
4.	ऑपरेटर भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल/ भूमिगत पाईपलाईन किराये का शुल्क ,रोड कटिंग शुल्क, एरियल खंभे के वार्षिक शुल्क (यदि लागू हो), एच.डी.डी शुल्क (यदि लागू हो) एवं पर्फोर्मेंस बैंक गारंटी शुल्क जमा करेंगे	ऑपरेटर	टी + 27
5.	करार या लाइसेंस जारी की जाएगी	सक्षम प्राधिकारी	टी + 30

8. डीम्ड अप्रूवल

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय आवेदन की तारीख से 20 दिनों के भीतर लिया जाएगा जिसके लिए एक रसीद दी जाएगी । यदि अनुमति के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सभी दृष्टियों से पूर्ण हों और निर्णय 20 दिनों के भीतर संप्रेषित नहीं किया जाता है तो न्यास और सत्यापन के आधार पर यह माना जाएगा कि यह निर्धारित नियम के अनुसार है । इसके बाद ऑपरेटर उपरोक्त बताए निर्धारित राशि को जमा करेंगे ।

9. जुर्माना-

क. यदि कोई ऑपरेटर इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो उसे रु० 5000/- तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है एवं उसकी ऑप्टिकल फाइबर

केबल/भूमिगत पाईपलाईन जब्त कर ली जाएगी/सील कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में दंड की राशि बढ़ाई जा सकती है जिसका अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास रहेगा|

ख. सक्षम प्राधिकारी जुर्माना, सीलिंग, जब्ती या निष्कासन के किसी आदेश को पारित करने से पहले ऑपरेटर को इस आशय का एक नोटिस देगा और ऑपरेटर को 7 दिन की अवधि के लिए सुनवाई करने का उचित अवसर प्रदान करेगा अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विस्तारित किया जाएगा।

ग. ऑपरेटर की सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी जुर्माना, सीलिंग, जब्ती और हटाने के संबंध में आवश्यक आदेश पारित करेंगे।

घ. ऑपरेटर द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन को न हटाए जाने की स्थिति में नगरपालिका के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल/भूमिगत पाईपलाईन हटाया जाएगा और ऑपरेटर से ऐसी निकासी की लागत वसूल की जाएगी।

ङ. इसके तहत लगाया गया जुर्माना, "संपत्ति कर" के बकाया के रूप में माना जाएगा और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के तहत नगर पालिका द्वारा इस संबंध में किए गए विनियमन के तहत वसूली के अधीन होगा।

10. **अपील-** सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के समक्ष होगी।

<u>परिशिष्ट</u>

फार्म-ए

पटना में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स/ भूमिगत पाईपलाईनों बिछाने के लिए अनुमति जारी करने के लिए आवेदन

सन्दर्भ नं..................................... दिनांक......................................

प्रति

____

____

____

क	ऑपरेटर का विस्तृत विवरणी		
1	ऑपरेटर का नाम		
2	पत्राचार के लिए पता	प्लॉट/	
		सड़क/	
		गांव	
		शहर/	
		जिला	
		पिन	
		फ़ोन नंबर	
3	पदनाम के साथ प्राधिकृत व्यक्ति	नाम	
		पद	
		मोबाइल नंबर	
		ईमेल	

ख	**प्रस्ताव**	
1	ऑप्टिकल फाइबर केबल	
2	भूमिगत पाईपलाईन	

ग	**प्रस्तावित मार्ग की अवस्थिति**				
	ऑप्टिकल फाइबर केबल/ पाईपलाईन				
	रूट परमिट	से		को	
	किमी में रूट लंबाई				
	स्वामित्व के तहत भूमि				
	ग्रामीण प्राधिकरण		नगरीय प्राधिकरण		
	वानिकी		एन.एच.ए.आई		
	पी.डब्ल्यू.डी		आर.डी		
	केंद्रीय प्राधिकार		निजी		
	पी.एस.यू		राजस्व		
	अन्य				

घ	**शुल्क**	
1	**प्राशासनिक शुल्क**	
	मांग ड्राफ्ट/चालान संख्या	
	पक्ष में	
	दिनांक	
	ड्राइंग बैंक	
	देय	
ड.	**आवश्यक दस्तावेज़**	**संलग्न (Y/N)**
1.	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस की प्रति	
2.	मार्ग और सही मार्ग की लंबाई वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल /पाईपलाईन का मार्ग विवरण	
3.	परियोजना के निष्पादन की विस्तृत जानकारी	

4.	जनता की असुविधा को कम करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय	
5.	क्षतिपूर्ति बांड और घोषणा	
6.	अन्य	

प्रमाणित किया गया है कि सभी जानकारी/ऊपर प्रस्तुत दस्तावेजों प्रामाणिक और मेरी जानकारीमें सही हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम	
पद	
संगठन की मुहर के साथ हस्ताक्षर	
ईमेल	
टेलीफ़ोन नं	
मोबाइल नं	
दिनांक	

<u>फॉर्म-बी</u>

पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रपत्र

[पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें विनियम, 2019 से संबंधित प्रमाण पत्र]

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम)

(स्थानीय निकाय का नाम/

<u>फॉर्म-सी</u>

पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें अस्वीकृति प्रपत्र

[पटना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एवं भूमिगत पाईपलाईनें विनियम, 2019 से संबंधित प्रमाण पत्र]

आवेदन नं : ....

आवेदन प्राप्त दिनांक : ....

संपत्ति स्वामी का नाम/अधिभोगी : ....

वार्ड नंबर : ....

पता : ....

मोबाईल नं : ....

आवेदन सं...दिनांक .... आपकी .... जारी करने की अर्जी को निम्नलिखित कारण से अस्वीकृत किया गया है:-

1. ....
2. ....
3. ....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम)

(स्थानीय निकाय का नाम)